पत्र संख्या–2 / जी01–101 / 2011गृ0आ0 562 /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग ।

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
गृह सचिव ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांकः– 28 जनवरी, 2011

विषय :– **बिहार सरकार के माननीय मंत्री, सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद की सुरक्षा के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–16434 दिनांक 30.12.1999, ज्ञापांक–3054 दिनांक 12.07.2002 एवं ज्ञापांक– 3108 दिनांक 22.03.06 के क्रम में कहना है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री, सांसद, विधायक एवं विधान पर्षद की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिए गए है :–

1. सुरक्षित व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों द्वारा आगन्तुकों भी Frisking अवश्य की जाय । परन्तु महिला आगंतुकों की तलाशी पुरूष सुरक्षाकर्मी द्वारा नहीं की जाएगी ।

Frisking के संबंध में प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मियों को जिला पुलिस एवं विशेष शाखा द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

2. माननीय सांसद, विधायक एवं विधान पर्षद को न्यूनतम तीन सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि 8–8 घंटे की पाली के अनुसार एक सुरक्षाकर्मी हमेशा उपलब्ध रहें ।

3. माननीय मंत्रीगण के साथ भी 3 सुरक्षाकर्मी की प्रतिनियुक्त की जाएगी ताकि 8–8 घंटे की ड्यूटी में एक सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहें ।

4. माननीय मंत्रीगण के सुरक्षा में विशेष शाखा की ओर से 1 अ0नि0 / स0अ0नि0 के अधीन विशेष शाखा के 3 सिपाही तैनात किये जाऐंगें । विशेष शाखा से प्रतिनियुक्त अ0नि0 / स0अ0नि0 माननीय मंत्री की सुरक्षा का प्रभारी रहेंगे ।

5. माननीय मंत्री को 1 पुलिस पदाधिकारी (अ0नि0 / स0अ0नि0 कोटि का) के अधीन 2–8 सशस्त्र बल को हाउस गार्ड सह स्कार्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा । इस बल से 1–4 बल हाउस गार्ड के रूप में कार्यरत रहेगा तथा प्रभारी अ0नि0 / स0अ0नि0 के साथ 1–4 का सशस्त्र बल माननीय मंत्री जी के भ्रमण के दौरान स्कार्ट बल के रूप में कार्य करेगा ।

6. माननीय मंत्रियों के Escort हेतु उनके प्रभार के विभाग से गाड़ी नहीं ली जाएगी और न ही मॉगी जाएगी । माननीय मंत्रियों के Escort हेतु आवश्यक वाहन के क्रय हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।

7. भ्रमण के दौरान जिलों से लाईजन पदाधिकरी के रूप में एक अ0नि0 / स0अ0नि0 माननीय मंत्री जी के कारकेड (कार्यक्रम के जिलों) में जिलों की आसूचना के साथ प्रतिनियुक्त किए जाऐगें ।

8. उपर्युक्त व्यवस्था के अलावे विशिष्ट व्यक्ति विशेष पर आसन्न खतरो के आकलन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है ।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 28.1.
गृह सचिव